

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.196)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2015/डी- 566

दिनांक: 16.07.2015

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 196वीं बैठक दिनांक 10.07.2015 का कार्यवाही विवरण:

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	196.1	कार्यकारी समिति की 195वीं बैठक दिनांक 22.05.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 195वीं बैठक दिनांक 22.05.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	196.2	कार्यकारी समिति की 195वीं बैठक दिनांक 22.05.2015 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 195वीं बैठक दिनांक 22.05.2015 में लिए गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	196.3	श्रीमती दुर्गा शर्मा पत्नी स्व.श्री ललित कुमार शर्मा द्वारा अपने पति स्व. श्री ललित कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियंता द्वारा प्राधिकरण से भूमि कय हेतु लिए गये ऋण राशि पर देय ब्याज राशि को माफ किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात श्रीमती दुर्गा देवी के पति स्व. श्री ललित कुमार शर्मा द्वारा प्राधिकरण से भूमि कय हेतु लिए गये ऋण पर देय ब्याज राशि रुपये 408657/- को माफ किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
4.	196.4	भूखण्ड संख्या 61, खसरा नम्बर 1259 ग्राम सांगानेर का पट्टा जारी करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या-61, खसरा नम्बर 1259, के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया	उपायुक्त जोन-8


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
5.	196.5	आवास गृह संख्या सी-162 योजना पालड़ी मीणा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास संख्या सी-162, योजना पालड़ीमीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10ए
6.	196.6	आवास संख्या सी-151 योजना पालड़ीमीणा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास संख्या सी-151, योजना पालड़ीमीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10ए
7.	196.7	श्री राजन विशाल, आई.ए.एस. से प्राधिकरण आवास संख्या यू-2, सेटी कॉलोनी जयपुर के किराये की राशि	श्री राजन विशाल, आई.ए.एस. से, उन्हे आवंटित प्राधिकरण के आवास संख्या यू-2, सेटी कॉलोनी, जयपुर का दिनांक	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		बाजारी दर के स्थान पर सामान्य दर से लिए जाने बाबत।	31.10.2014 से 01.04.2015 तक का किराया बाजारी दर के स्थान पर सामान्य दर पर लिये जाने के सम्बंध में प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विचार-विमर्श पश्चात ऐसे प्रकरणों में एकरूपता लाने के लिये निति निर्धारण कर आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के लिये defer किया गया।	
8.	196.8	हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या ए-65 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास संख्या ए-65, योजना हरचन्दपुरा डेयरी के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13ए
9.	196.9	Agenda Regarding Approval of bid for the Electrification & Street light work for Scatted area of Zone-10 (PAP Area)	विचार-विमर्श पश्चात "Electrification and Street light work for Scatted area of Zone-10 (PAP Area)" के लिए न्यूनतम दस्तावे मैसर्स एम.एम. ब्रदर्स के पक्ष में "G- Schedule based on PWD BSR 2012" पर 26.26% कम दर पर राशि रुपये 36860402.19 की प्राप्त की गई निविदा को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

हस्ताक्षर,

नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
10.	196.10	भूखण्ड संख्या बी-512 योजना पालड़ीमीणा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या बी-512, योजना पालड़ीमीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10ए
11.	196.11	भूखण्ड संख्या सी-334 योजना पालड़ीमीणा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या सी-334, योजना पालड़ीमीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10ए
12.	196.12	In reference to the 'Fees of standing Counsel' for JDA in the cases before Hon'ble High Court.	विचार विमर्श पश्चात श्री अमीत तनवानी, जविप्रा के स्थायी अधिवक्ता, को राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर में जविप्रा के प्रकरणों की दैनिक रूप से मोनिटरिंग करने हेतु उनको दिये जा रहे मासिक पारिश्रमिक राशि 8000/- के स्थान पर प्रस्ताव अनुसार	निदेशक (वित्त)


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			रुपये 21000/- प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।	
13.	196.13	प्राधिकरण में सहकारिता संवर्ग के पदों के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण में सहकारिता प्रकोष्ठ की केडर स्ट्रेन्थ के निर्धारण के प्रकरण को वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में पुनः परिक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने हेतु defer किया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
14.	196.14	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में प्रथम चरण की लॉटरी में ऑक्टन से शेष मामलों में ली जाने वाली दर को निर्धारित करवाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण की लॉटरी में ऑक्टन से वंचित मामलों में पुरानी आरक्षित दर अर्थात् रुपये 1111/- प्रति वर्ग मीटर की दर के साथ-साथ आवंटन पत्र जारी होने की तिथी से राशि जमा कराने की निर्धारित तिथी तक की समयावधि में आरक्षित दर पर 15% ब्याज राशि जोड़कर मांग पत्र जारी किया जावे।	उपायुक्त जोन-13
15.	196.15	भूखण्ड संख्या एफ-1118, जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा सांगानेर का पट्टा जारी करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या एफ-1118, योजना गोविन्दपुरा, सांगानेर के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8


सचिव,

इन्दौर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
16.	196.16	भूखण्ड संख्या एफ-896(ई), जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा सांगानेर का पट्टा जारी करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या एफ-896(ई), योजना गोविन्दपुरा, सांगानेर के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8
17.	196.17	Post facto Approval of Tender for the work "Development and Beautification of Panipech Tri Junction JDA Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात "Development and Beautification of Panipech Junction, JDA Jaipur" के लिए एकल निविदादाता मैसर्स निरानिया कन्स्ट्रक्शन क0 के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR-2012" पर कुल राशि रुपये 90,24,226.00 पर 24.89% अधिक दर पर including Non-BSR item @ 7000.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्राप्त की गई निविदा की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही निविदा की समयावधि 60 दिवस से अधिक होने की छुट भी प्रदान की गयी।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
18.	196.18	Approval for Rejection of bid for "Rate Contract for P/L/J of lateral sewer line with construction of precast RCC	विचार विमर्श पश्चात "Rate Contract for P/L/J of lateral Sewer line with construction of precast RCC Manholes in various colonies under JDA,	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)


 सचिव,
 बयपुर विकास प्राधिकरण, बयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		manholes in various colonies under JDA, Jurisdiction, Jaipur"	Jurisdiction" के लिए एकल निविदादाता मैसर्स रघुवीर शरण गुप्ता की निविदा की उच्चदर होने के कारण तथा इस Negotiation में राशि कम करने हेतु कहा गया, परन्तु मैसर्स रघुवीर शरण गुप्ता द्वारा बिड राशि कम नहीं किये जाने के कारण प्रस्ताव अनुसार निविदा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	
19.	196.19	Extension & Revision of service rules of computer cell of jaipur Development Authority.	विचार विमर्श पश्चात प्रस्तुत एजेण्डा नोट के निम्न बिन्दुओं को प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित किया गया:- 1. सेवा विनियमों में वर्णित पदनाम को राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित नाम के अनुसार किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 2. नवीन पदों को सेवा विनियमों में सम्मिलित करने के संबंध में। 3. पदोन्नति के पदों के लिये शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण/संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 4. सीधी भर्ती के पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता का परीक्षण एवं संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)



सचिव,

स्वास्थ्य विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			5. सीधी भर्ती के पदों हेतु पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि क्योंकि प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 1984 में संशोधन से सम्बंधित होने के कारण उक्त प्रस्ताव को प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए।	
20.	196.20	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 1984 के समस्त सवर्गों की विसंगतियों के संबंध में राज्य सरकार के सेवा नियमों के अनुसार एक रूपता लाने के संबंध में।	प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन ने अवगत कराया की एजेण्डा नोट में कुछ पद नाम त्रुटिवश गलत अंकित हो गये हैं, तथा कुछ पद नाम एजेण्डा नोट में छूट गये हैं। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 1984 के सेवा नियमों में, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालय सेवा नियम, 1999 (राज्य सरकार) में विद्यमान पदोन्नति के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान मोटर गेराज अधीनस्थ सेवा नियम 1979 (राज्य सरकार) में विद्यमान पदोन्नति के प्रावधानानुसार, प्रस्ताव अनुसार निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया:- (अ) क्रम संख्या 2 पर राजस्थान अधीनस्थ	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			कार्यालय मंत्रालय सेवा नियम, 1999(राज्य सरकार) में विद्यमान प्रस्तावित प्रावधान में जो “सहायक” अर्कित है, उसे वरिष्ठ सहायक/साख्यंकी सहायक पद जावें। (ब) क्रम संख्या 4 में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालय सेवा नियम, 1999 (राज्य सरकार) में विद्यमान प्रस्तावित प्रावधान में जो वरिष्ठ लिपिक अर्कित है, के स्थान पर सहायक/भण्डारी/अवधाता तथा कनिष्ठ लिपिक के स्थान पर कनिष्ठ सहायक पद जावें। (स) क्रम संख्या 5 में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालय सेवा नियम, 1999 (राज्य सरकार) में विद्यमान प्रस्तावित प्रावधान में जो कनिष्ठ लिपिक अर्कित के स्थान पर कनिष्ठ सहायक/टेलिफोन ऑपरेटर पद जावें। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 1984 के सेवा नियमों में संशोधनों से सम्बन्धित है, इसलिये अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।	



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
21.	196.21	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए-11, एच-152, बी-290, बी-61, आई-131, आई-173 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात आवास संख्या सी-ए-11, एच-152, बी-290, बी-61, आई-131, आई-173, योजना पालडीमीणा के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शारित जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्डों को नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
22.	196.22	जयपुर विकास प्राधिकरण में सहायक के पद पर कार्यरत श्रीमती विजयेश शर्मा द्वारा प्राधिकरण से अनुमति पश्चात भाषा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शीघ्रलिपि परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति किये जाने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 1984 की अनुसूची संख्या-VIII सामान्य सेवाये में आशुलिपिक संवर्ग में 100 प्रतिशत सीधी भर्ती के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुये प्राधिकरण में कार्यरत श्रीमती विजयेश शर्मा, सहायक द्वारा भाषा विभाग से शीघ्रलिपि एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप आशुलिपिक के पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बंध में स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
23.	196.23	राजस्व न्यायालयों में नियुक्त अधिवक्ता श्री एन.के.पारीक व श्री उमेश कुमार पारीक को पैरवी हेतु देय पारिश्रमिक में वृद्धि करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों की पैरवी के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री एन. के पारीक एवं श्री उमेश कुमार पारीक की मासिक रिटर्नेरशिप राशि प्रस्ताव अनुसार रुपये 18000/- प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (विधि)
24.	196.24	भूखण्ड संख्या 413, जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा सांगानेर का पट्टा जारी करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या 413, योजना गोविन्दपुरा, सांगानेर के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8
25.	196.25	भूखण्ड संख्या 411, जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा सांगानेर का पट्टा जारी करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या 411, योजना गोविन्दपुरा, सांगानेर के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय	उपायुक्त जोन-8

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			लिया गया।	
26.	196.26	भूखण्ड संख्या ई-259 योजना पालडीमीणा के नियमितिकरण के संबंध।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या ई-259 योजना पालडीमीणा के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-10ए
27.	196.27	Construction of Compound Wall in Rohini Enclave Scheme in Zone-14, JDA, Jaipur.	विचार-विमर्श पश्चात "Construction of Compound Wall in Rohini Enclave Scheme in Zone-14, JDA, Jaipur" के लिए एकल निविदादाता मैसर्स दिनेश कन्स्ट्रक्शन के पक्ष में "G- Schedule based on PWD BSR 2012" पर 2.20% अधिक दर पर राशि रुपये 4,81,23,804.00 की प्राप्त की गई निविदा को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
28.	196.28	Post facto approval of Tender for Construction of Compound Wall in Abhinav Vihar Vistar Scheme in Zone-14], JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात "Construction of Compound Wall in Abhinav Vihar Vistar Scheme in Zone-14], JDA, Jaipur" के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स पारुल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)


सांच, 

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			2012" पर 1.44% अधिक दर पर राशि रूपए 4,20,59,113.00 की प्राप्त की गई निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
29.	196.29	Post facto approval of Tender for Development of main 200 feet wide Road of Knowledge City in front of IOC in Zone-14, JDA, Jaipur	विचार विमर्श पश्चात "Development of main 200 feet wide Road of Knowledge City in front of IOC in Zone-14, JDA, Jaipur" के लिए न्यूनतम दरदाता M/s Githala Construction Company के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2012" पर 7.55% कम दर पर राशि रूपए 7,07,67,329.00 की प्राप्त की गई निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
30.	196.30	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एच-48, डी-434, एफ-196 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात कल्पना नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या एच-48, डी-434, एफ-196 के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर भूखण्डों का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-13ए


 सचिव
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
31.	196.31	जविप्रा जोन-8 में स्वर्ण विहार योजना में सड़क निर्माण कार्य की निविदा के अनुमोदन हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् “जविप्रा जोन-8 के स्वर्ण विहार योजना में सड़क निर्माण कार्य” के लिये न्यूनतम दरदाता मेसर्स अवनी कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में “G-Schedule based on PWD BSR 2012” पर 18.21% कम दर पर राशि रुपये 2,80,31,942.00 की प्राप्त की गई निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
32.	196.32	जविप्रा जोन-8 में नारायण विहार एवं नारायण सागर क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर सड़कों का विकास एवं नवीनीकरण कार्य की निविदा के अनुमोदन हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् “जविप्रा जोन-8 में नारायण विहार एवं नारायण सागर क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर सड़कों का विकास एवं नवीनीकरण कार्य के लिये न्यूनतम दरदाता मेसर्स मदन लाल रामेश्वर लाल के पक्ष में “G-Schedule based on PWD BSR 2012” पर 5.86% कम दर पर राशि रुपये 5,17,41,362.00 की प्राप्त की गई निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
33.	196.33	Agenda Regarding approval of bid for the work of rate contract for addition/alteration of traffic signalization work of various crossing in Jaipur city, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् “addition/alteration of traffic signalization work of various crossing in Jaipur city, Jaipur” के लिये न्यूनतम दरदाता मेसर्स शक्ति एन्टरप्राइजेज को At par “G-Schedule based on PWD BSR 2012” का Counter offer दिया गया है। मेसर्स शक्ति	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			एन्टरप्राइजेज द्वारा प्राधिकरण द्वारा दिये गये Counter offer को स्वीकार किये जाने की स्थिति में राशि रुपये 3,00,53,011.00 का कायदश दिए जाने का निर्णय लिया गया।	
34.	196.34	Agenda Regarding Ex-post facto approval of bid for the work providing and fixing Traffic signal lights at 20 Tri junction/ junction phase-III on Jaipur City, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् "providing and fixing Traffic signal lights at 20 Tri-junction/junction phase-III on Jaipur City, Jaipur" के लिये न्युनतम दरदाता मैसर्स शक्ति एन्टरप्राइजेज के पक्ष में उनके द्वारा Counter Offer स्वीकार किये जाने के पश्चात् "G-Schedule based on PWD BSR 2012" पर 5% कम दर पर राशि रुपये 2,98,94,424.00 की प्राप्त की गई निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
35.	196.35	Agenda Regarding Approval of negotiation in rates for work "Shifting & Dismantling of existing HT/LT lines (11KV/LT)by erecting/laying new lines from Thana chouraha to Radha Swami Bagh including street light work at Chomu Zone-12, Jaipur"	विचार विमर्श पश्चात् "Shifting & Dismantling of existing HT/LT lines (11KV/LT)by erecting/laying new lines from Thana chouraha to Radha Swami Bagh including street light work at Chomu Zone-12, Jaipur" के लिये न्युनतम दरदाता मैसर्स एल. के. एन्टरप्राइजेज की "G-Schedule based on PWD BSR 2012" पर 11.11% कम दर पर प्रस्तुत निविदा को Negotiate किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)



सचिव,

स्वच्छ विकास प्राधिकरण, जयपुर

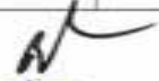
क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
36.	196.36	भूखण्ड संख्या डी-44, जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अनुपम विहार के नियमितिकरण के संबंध।	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या डी-44, जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना अनुपम विहार के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11
37.	196.37	जविप्रा जोन-8 क्षेत्र में लो हाईट कम्पाउण्ड वाल का निर्माण कार्य (दर संविदा) की निविदा के अनुमोदन हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् "जविप्रा जोन-8 क्षेत्र में लो हाईट कम्पाउण्ड वाल का निर्माण कार्य" के लिये एकल निविदादाता मैसर्स पारूल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी "G-Schedule based on PWD BSR 2012" पर 1.51% कम दर पर प्रस्तुत निविदा को Negotiate किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
38.	196.38	Post facto approval of tender for the work of Construction of Missing link of sector Roads in Zone-1 & 2, JDA, Jaipur	विचार विमर्श पश्चात् "construction of Missing link of sector Roads in Zone-1 & 2, JDA, Jaipur" के लिये न्युनतम दख्खता मैसर्स सरस्वति बिल्डकॉन के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2012" पर 2.75% कम दर पर राशि रुपये 4,13,30,564.00 की प्राप्त की गई निविदा व जारी किये गये कायदेश की	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)



सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।	
39.	196.39	Ratification of tender approval and for decision regarding request of M/s MRR Electricals & Contractors Pvt. Ltd. For exemption from depositing the work performance guarantee for the work of "Shifting and Dismantling of HT/LT lines by erecting/laying new lines at Vaishali Marg (West) and Amarpali Marg (West), JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात "Shifting and Dismantling of HT/LT lines by erecting/laying new lines at Vaishali Marg (West) and Amarpali Marg (West), JDA, Jaipur" के लिये न्यूनतम दरदत्ता M/S MRR Electricals & Contractor Pvt. Ltd. के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2012" पर 31.99% कम दर पर राशि रुपये 3,09,95,234.00 की आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत निविदा की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया। साथ ही Work Performance Guarantee राशि जमा कराने से भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
40.	196.40	Ratification of tender approval and for decision regarding request of M/s MRR Electricals & Contractors Pvt. Ltd. For exemption from depositing the work performance guarantee for the work of "Shifting and Dismantling of HT/LT overhead and providing of street light at road widening from new Sanganer Road to 100" road near Maharani Garden and Patrakar Colony in PRN area Zone 18 & 19 JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात "Shifting and Dismantling of HT/LT overhead and providing of street light at road widening from new Sanganer Road to 100" road near Maharani Garden and Patrakar Colony in PRN area Zone 18 & 19 JDA, Jaipur" के लिये न्यूनतम दरदत्ता M/S MRR Electricals & Contractor Pvt. Ltd. के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2012" पर 32.90% कम दर पर राशि रुपये 2,30,25,939.00 की आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत निविदा	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया। साथ ही Work Performance Guarantee राशि जमा कराने से भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	
41.	196.41	Finalization of contract of consultancy services of L&T M/s Ramboll Consulting Engineers Ltd. For preparation of feasibility report for improvement of 22 Godown Crossing, Khasa Khoti Crossing, Crossing of civil line level crossing and Government Hostel Crossing in Jaipur City.	M/s Ramboll Consulting Engineers Ltd. को दिये जाने वाले भुगतान के सम्बंध में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य को संवेदक के द्वारा जो कार्य नहीं किया गया माना है, उसकी राशि जो एजेण्डा में प्रस्तावित की गई है, एवं जो कार्य प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता नहीं होने के कारण नहीं कराये गये हैं, उस राशि को काटकर भुगतान करने व कार्य को फाइनल करने की अनुमति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
42.	196.42	Renewal of Internal roads in Zone-9 area, JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् मैसर्स परनामी सप्लायर्स से रुपये 3,16,55,918.00 के कार्य को Rescind करने एवं रुपये 39,88,624.00 के कार्य को Withdraw करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मैसर्स परनामी सप्लायर्स को जयपुर विकास प्राधिकरण में निविदा प्रस्तुत करने से छः माह के लिये debar करने का भी निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
43.	196.43	भूखण्ड संख्या जी-1118, जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा सांगानेर	विचार-विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या जी-1118, जविप्रा की आवासीय योजना	उपायुक्त जोन-8


सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		का पट्टा जारी करने बाबत।	गोविन्दपुरा सांगानेर के आवंटी द्वारा नजराना राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स 1974 के रूल्स 17(5)(ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु विस्तृत विवरण सहित प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
44.	196.44	Approval of tender for the work "Various development works for Ghat ki Guni tunnel project, (Part-IV) various road development works of Delhi road TPN/Automobile Nagar in Zone-10 JDA Jaipur"	विचार विमर्श पश्चात् "Various development works for Ghat ki Guni tunnel project, (Part-IV) various road development works of Delhi road TPN/Automobile Nagar in Zone-10 JDA Jaipur" के लिये न्यूनतम दरदाता M/s Gupta K.N. Construction Co. के पक्ष में "G-Schedule based on PWD BSR 2012" पर 7.80% कम दर पर राशि रुपये 4,87,06,811.00 की प्राप्ति की गई निविदा को बिना किसी शर्त के स्वीकृत किया जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)



(पवन अरोड़ा)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 196वीं बैठक दिनांक 10.07.2015 को सायंकाल 04:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही:

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री शिखर अग्रवाल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री एन.सी मावुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रयम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री देवराज सिंह	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री अनन्त कुमार	उप निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
6.	श्री कैलाश चन्द यादव	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	कलैक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री जे.पी.शर्मा	उपायुक्त	नगर निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री महावीर प्रसाद बडगुर्जर	अतिरिक्त आयुक्त पुलिस	पुलिस विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री दीपक शर्मा	अधिक्षापी अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्रीमति रिकु बंसल	उप नगर नियोजक	रीको लिमिटेड, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
11.	श्री अक्षय सिंह	वन संरक्षक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री ओ.पी. बुनकर	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्रीमती रश्मि गुप्ता	अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेंट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री असलम शेखान	उपायुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री बीरवल सिंह शेखावत	उपायुक्त जौन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री वीरेन्द्र सिंह सुण्डा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री राजकुमार शर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री टी. के. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता-IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री वेद प्रकाश वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
21.	श्री राम प्रकाश	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री अजय जर्ज	अधीक्षण अभियन्ता-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री सलीम अहमद	अधिक्षापी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री पी.सी. अम्बेश	अधिक्षापी अभियन्ता-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्री विवेक शर्मा	अधिक्षापी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री संजीव सचदेव	अधिक्षापी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
28.	श्री मुकेश राणा	अधिक्षापी अभियन्ता-II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
29.	श्री कैलाश चन्द	सहायक अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
30.	श्री प्रभात गोस्वामी	विशेषाधिकारी (पी.आर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


(पवन अरोड़ा)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.196)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2015/डी- 566

दिनांक: 16.07.2015

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्टर, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जौन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


 (पवन अरोड़ा)
 सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- प-2(ई.सी.196)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2015/डी- 597 दिनांक: 29.7.15

शुद्धि-पत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 196वीं बैठक दिनांक 10.07.2015 के एजेण्डा संख्या 196.21, जो कि “कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए-11, एच-152, बी-290, बी-61, आई-131, आई-173 के नियमितिकरण” से सम्बन्धित है, के निर्णय में सहवन से “कल्पना नगर” के स्थान पर “पालडीमीणा” अंकित हो गया है। अतः उक्त निर्णय में “पालडीमीणा” के स्थान पर “कल्पना नगर” पढ़ा जावे।



(पवन अरोड़ा)

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महापौर, जयपुर नगर निगम।
5. जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
12. पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग, जयपुर।
13. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।

370

15. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, जयपुर।
16. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19. निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20. निदेशक (नगर आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21. निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24. उपायुक्त जोन....., जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25. सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(पवन अरोड़ा)
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर